भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6328

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना

6328. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्थानीय सरकार के स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की संस्थागत और राजकोषीय क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा देश में यूएलबी के राजस्व की स्थिति सुधारने और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(ग) क्या सरकार का शहरी मिशनों और योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या ऐसे किसी अध्ययन में संपत्ति कराधान और राजकोषीय स्वायत्तता सहित नगरपालिका राजस्व जुटाने के अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से किन्हीं सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान की है जिन्हें देश में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए अपनाया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 के अनुसार 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय है तथा भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में की गई परिकल्पना के अनुसार शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों का एक कार्य है। तदनुसार, शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करना मुख्यतः

संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं, नीतिगत पहलों तथा परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है।

ख) सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा उनके राजस्व में वृद्धि हेतु, राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वित्तीय अंतरण, **अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (**अमृत**)** एवं अमृत 2.0 आदि पहलों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को नगर निगम बांड जारी करने हेतु ₹100 करोड़ रुपए के बांडों पर ₹13 करोड़ रुपए की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रति शहरी स्थानीय निकाय अधिकतम 26 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन निर्धारित है। द्वितीय बार पात्रता केवल ग्रीन बांड जारी करने के लिए मान्य है, जिसमें ₹100 करोड़ के बांड जारी करने पर ₹10 करोड़ की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है, तथा अधिकतम प्रोत्साहन ₹20 करोड़ तक सीमित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अमृत शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कुल 5584 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है, जिसमें से 2000 करोड़ रूपए आंध्र प्रदेश के अमरावती द्वारा तथा 80 करोड़ रुपए विशाखापत्तनम द्वारा जुटाए गए हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, परिणाम-आधारित सुधार, "जल ही अमृत" तथा "अमृत मित्र" जैसी विभिन्न सुधार पहलों के माध्यम से, पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को कुल ₹75.95 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य ने संपत्ति कर पोर्टल को ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) के साथ एकीकृत करने की सूचना दी है तथा आंध्र प्रदेश के 10 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), अर्थात् विजयवाड़ा, राजमहेंद्रवरम, एलुरु, मछलीपट्टनम, गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर, कडप्पा और अनंतपुरम ने संपत्ति कर पोर्टल को राजस्व/पंजीकरण पोर्टल के साथ लिंक कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग की आवंटन अवधि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित कुल ₹4,860 करोड़ में से ₹4,051.76 करोड़ की राशि आंध्र प्रदेश के **शहरी स्थानीय निकायों (**यूएलबी**)** को जारी की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के सभी 123 **शहरी स्थानीय निकाय**, पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को अद्यतन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025-26 में ₹1 लाख करोड़ के **शहरी चुनौती कोष** की स्थापना की घोषणा की है। शहरी चुनौती कोष 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल और स्वच्छता' नामक तीन घटको के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु बाजार से वित्त जुटाने में सहायता प्रदान करता है।

(ग) वर्तमान में मंत्रालय में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न सुधार पहलें, **पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना** तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य सुधार, नगर पालिकाओं की राजस्व अर्जन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में योगदान देते हैं।
